संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार राज एक्सप्रेस पृष्ठ ....दिनांक 18-4......2021

वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिये गये आदेशों की कर्मचारी ने की अवहेलना, हुई कार्रवाई

काम में लापरवाही पर किया बर्खास्त गंदगी फैलाने पर 4 लोगों पर जुर्माना

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क 18-4-2021

नगर निगम प्रशासन द्वारा लापरवाही कर्मचारियों के साथ ही गंदगी फैलाने वाले लोगों पर भी सख्ती बरती जा रही है। आयुक्त ने गुरुवार को प्रकाश शाखा के एक कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया जबकि गंदगी फैलाने पर 4 लोगों पर जुर्माना लगा लगाया। अब शहर में कचरा ट्रांसफर स्टेशन की संख्या भी घटाकर सिर्फ चार कर दी गई है।

निगम के प्रकाश विभाग में कार्यरत स्थाईकर्मी अखिलेश निमावत द्वारा वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिये गये आदेशों की अवहेलना की गई। इसके साथ ही कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता भी बरती गई। इतना ही नहीं अनुशासनहीनता भी की गई। इसे लेकर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने अखिलेश को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। उधर, खुले में कचरा डालकर गंदगी करने पर स्पॉट फाइन दल द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। दल ने मोहम्मद रफीक घास बाजार पर 500 रुपए, हरमाला रोड क्षेत्र में सुरेश पर 500, वहीद पर 250 व बाबू पर 100 रुपए जुर्माना किया गया। कार्रवाई उप स्व%छता निरीक्षक विराट मेहरा, मनोज टांक, पवन झांझोट, आकाश शिन्दे, राकेश ललावत व मनोज झांझोट आदि न की। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरुद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार .... पृष्ठ .... दिनांक 2021

निगम अधिकारी एवं कर्मचारी कोरोना का दुसरा टीका अनिवार्य रूप से लगवायें

रतलाम । नगर निगम के अधिकांश अधिकारी एवं कर्मचारियों ने कोरोना का दुसरा टीका लगवा लिया है किन्तु कुछ अधिकारी एवं कर्मचारी दुसरे चरण के टीके से वंचित है वे अपनी व अपनों की सुरक्षा हेतु अनिवार्य रूप से टीका लगवायें। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी से आप सभी सुरक्षित रहे यह शासन एवं नगर निगम का उद्देश्य है । टीकाकरण से शेष रहे अधिकारी एवं कर्मचारी जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित टीकाकरण केन्द्र पर उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से टीका लगवायें। ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी जो कि टीकाकरण में रूचि नहीं दिखा रहे है उनके विरूद्ध नगर निगम द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

गंदगी करने पर 4 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार ऐसे व्यक्ति जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा कर रहे हैं उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। खुले में कचरा डालकर गंदगी करने पर स्पॉट फाईन दल द्वारा मोहम्मद रफीक घांस बाजार पर 500, हरमाला रोड क्षेत्र में सुरेश पर 500, वहीद पर 250 व बाबु पर 100 रुपये का जुर्माना किया गया। जुर्माने की कार्यवाही उप स्वच्छता निरीक्षक श्री विराट मेहरा के अलावा मनोज टांक, पवन झांझोट, आकाश शिन्दे, राकेश ललावत व मनोज झांझोट आदि के द्वारा की गई।

गंदगी करने पर 4 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार ऐसे व्यक्ति जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा कर रहे हैं, उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। खुले में कचरा डालकर गंदगी करने पर स्पॉट फाईन दल द्वारा मोहम्मद रफीक घांस बाजार पर 500, हरमाला रोड क्षेत्र में सुरेश पर 500, वहीद पर 250 व बाबू पर 100 रुपए का जुर्माना किया गया। 18-4-21

जुर्माने की कार्यवाही उप स्वच्छता निरीक्षक विराट मेहरा के अलावा मनोज टांक, पवन झांझोट, आकाश शिन्दे, राकेश ललावत व मनोज झांझोट आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरूद्ध जुर्माना किए जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

18-4-2021

गंदगी करने पर 4 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार ऐसे व्यक्ति जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा कर रहे है उनपर जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। खुले में कचरा डालकर गंदगी करने पर स्पॉट फाईन दल द्वारा मोहम्मद रफीक घांस बाजार पर 500, हरमाला रोड क्षेत्र में सुरेश पर 500, वहीद पर 250 व बाबु पर 100 रुपये का जुर्माना किया गया। जुर्माने की कार्यवाही उप स्वच्छता निरीक्षक श्री विराट मेहरा के अलावा मनोज टांक, पवन झांझोट, आकाश शिन्दे, राकेश ललावत व मनोज झांझोट आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरूद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

इन्दौर समाचार 18-4-2021

रतलाम में भी 26 अप्रैल तक बढ़ाया लॉकडाउन, आंकड़ा बढ़ा लिया निर्णय

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क

कोरोना की दूसरी लहर के बेकाबू होने और रोज डेढ़ सौ से अधिक संक्रमित होने से हर तरफ हड़कंप है। इसे देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन समूह ने रतलाम जिले में भी कर्फ्यू की अवधि को 26 अप्रैल को सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। रतलाम जिले में कोरोना से हालात बेकाबू होते जा रहे है, वहीं मेडिकल कालेज में बेड भी फुल हो गए है जिसके देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। कोरोना संक्रमितओं के रोज जारी हो रहे आंकड़े डराने वाले है। ...ार को जारी आंकड़ों में संक्रमितों की संख्या दोहरे शतक के पास पहुंच गई। कोरोना संक्रमितों के मरने वालों की संख्या भी 4 रही।

बैठक आयोजित की

नतीजतन शनिवार को रतलाम में आपदा बंधन समूह की बैठक आहूत की गई। इसमें लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। 9 अप्रैल को शाम 6 बजे लागू किया गया लॉकडाउन अब 19 अप्रैल से बढ़ाकर 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। बढ़ रही कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या और मृत्यु दर को बताया जा रहा है।

रतलाम में भी बढ़ी लॉक डाउन की अवधि

रतलाम। देश, प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते स्थिति पहले से कई गुना अधिक चिंताजनक हो गई है। इस बीच रतलाम में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने लॉक डाउन की अवधि बढ़ाते हुए 26 अप्रैल कर दी है। जानकारी के अनुसार शनिवार दोपहर में इंदौर और उज्जैन से लॉक डाउन बढ़ने की खबरें सामने आ रही थी। इस बीच शाम होते होते रतलाम में आपदा समिति की बैठक में लॉक डाउन बढ़ने की घोषणा हो चुकी है। पहले जहा 9 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉक डाउन लगाया गया था। वही अब लॉक डाउन 26 अप्रैल तक कर दिया गया है। बीते 24 घंटे में रतलाम जिले में आये कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या ने स्वास्थ विभाग के होश उड़ गये। शुक्रवार को रतलाम जिले के अलग अलग क्षेत्रों 195 कोरोना पॉजिटिव मरीज समाने आये थे। वही करीब 4 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। जिले में लॉक डाउन बढ़ने का कारण कई ना कई लगातार बढ़ रही कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या और मृत्यु दर को बताया जा रहा है।

अब 26 अप्रैल तक लॉकडाउन

रतलाम। बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाते हुए 26 अप्रैल कर दी है। जानकारी के अनुसार आपदा समिति की बैठक में लॉक डाउन बढ़ाने की घोषणा हो चुकी है। पहले जहा 9 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉक डाउन लगाया गया था। वही अब लॉक डाउन 26 अप्रैल तक कर दिया गया है। बीते 24 घंटे में रतलाम जिले में आये कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या ने स्वास्थ विभाग के होश उड़ गये। शुक्रवार को रतलाम जिले के अलग अलग क्षेत्रों 195 कोरोना पॉजिटिव मरीज समाने आये थे। वही करीब 4 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। जिले में लॉक डाउन बढ़ाने का कारण कई ना कई लगातार बढ़ रही कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या और मृत्यु दर को बताया जा रहा है।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार इन्दौर समाचार पृष्ठ .... दिनांक 18-4 2021

कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु प्रतिदिन किया जा रहा है सेनेटाईजेशन का कार्य

रतलाम। नगर के नागरिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने हेतु जिला कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम गोपालचन्द्र डाड के निर्देशानुसार निगम के विभिन्न वाहनों के माध्यम से सोडियम हाईपोक्लोराईड से सेनेटराईज किया जा रहा है साथ ही माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्रों में भी हैण्ड मशीन से सेनेटाईजेशन किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा प्रतिदिन फायर लॉरी व ट्रेक्टर ट्रॉली से नगर के विभिन्न क्षेत्रों की सड़कों, गलियों, भवन आदि को 1 प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईड मिलाकर 1 लाख लीटर से सेनेटराईज किया जा रहा है। 16 अप्रैल शुक्रवार को फायर लॉरी से गायत्री टॉकिज रोड, शहीद चौक, लोकेन्द्र टॉकिज रोड सहित नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सेनेटाईजेशन किया गया। इसके अलावा 14 व्यक्तियों की टीम द्वारा हैण्ड मशीन के माध्यम से मेडिकल कॉलेज, माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्र, कलेक्टोरेट, गांधी नगर टीआईटी बिल्डिंग, अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल, ई-दक्ष कार्यालय, नगर निगम कार्यालय सहित शासकीय कार्यालयो आदि में सेनेटराईजेशन का कार्य किया गया। नगर के सेनेटराईज किये जाने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सफाई का कार्य किया जा रहा है व सफाई उपरान्त सफाई स्थल व नालियों में कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

कन्टेनमेंट क्षेत्रों में भी हैण्ड मशीन से सेनेटाईजेशन

निगम के विभिन्न वाहनों के माध्यम से सोडियम हाईपोक्लोराईड से सेनेटराईज किया जा रहा है साथ ही माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्रों में भी हैण्ड मशीन से सेनेटाईजेशन किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा प्रतिदिन फायर लॉरी व ट्रेक्टर ट्रॉली से नगर के विभिन्न क्षेत्रों की सड़कों, गलियों, भवन आदि को 1 प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईड मिलाकर 1 लाख लीटर से सेनेटराईज किया जा रहा है। 17 अप्रैल शनिवार को फायर लॉरी से घांस बाजार, कलाईगर रोड, डाट की पुल, पीएण्डटी कालोनी, सैलाना यार्ड, टीआईटी रोड, जवाहर नगर सी कालोनी, जवाहर नगर बीमा अस्पताल क्षेत्र, इन्द्रा नगर, मोती नगर, भगतपुरी, त्रिपोलिया गेट, गांधी नगर, तैलियो की सड़क सहित नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सेनेटाईजेशन किया गया। इसके अलावा 14 व्यक्तियों की टीम द्वारा हैण्ड मशीन के माध्यम से मेडिकल कॉलेज, माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्र, कलेक्टोरेट, ई-दक्ष कार्यालय, नगर निगम कार्यालय सहित शासकीय कार्यालयो आदि में सेनेटराईजेशन का कार्य किया।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार–[illegible] पृष्ठ .... दिनांक 18-5 2021

अब ना चलेगा बहाना–मास्क है लगाना अभियान जारी

कलेक्टर और निगम प्रशासक गोपालचंद डाड और निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशन में कोरोना बचाव का अभियान निरन्तर जारी है। सफाई मित्र समूह की टीम नगर के विभिन्न क्षेत्रों में रांगोली के माध्यम से नागरिकों को निरन्तर कोरोना से बचाओं का संदेश देने के साथ ही आमजन को मास्क का नि:शुल्क वितरण कर उन्हें सही ढंग से मास्क पहनने का तरीका भी समझा रही है। इस मौके पर आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों से आव्हान किया है कि सभी लॉक डाउन का शत प्रतिशत पालन करें। कोविड-19 की चेन तोड़ने का ये सीधा तरीका है। लॉक डाउन के दौरान बहुत ज्यादा जरुरी होने पर ही घरों से निकलें, क्यूंकि आपकी जरा सी चूक आपके और आपके परिवार को संकट में डाल सकती है। नगर निगम के माध्यम से जगह-जगह सैनेटाईजेशन भी निरन्तर कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम अब ना कोई बहाना-मास्क है लगाना अभियान के माध्यम से नागरिकों को कोविड गाईड लाईन का पालन करने की समझाईश दे रहा है।

मास्क नहीं लगाने पर होगा जुर्माना

रतलाम। कलेक्टर व निगम आयुक्त के निर्देशानुसार कोविड-19 के संक्रमण को रोकने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है म.प्र. लोक स्वास्थ्य अधिनियम-1949 के अन्तर्गत कोविड-19 (नोवल कोरोना वायरस) के कारण होने वाली महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

[illegible] 18-5-2021

[illegible]
18-5-2021

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार [illegible]–पृष्ठ ....दिनांक 18-4.....2021

विनोबा नगर का कचरा ट्रांसफर स्टेशन बंद

निगम आयुक्त झारिया ने बताया नगर के 5 कचरा ट्रांसफर स्टेशन अमृत सागर, विरियाखेडी, ईश्वर नगर, विनोबा नगर व पोलोग्राउण्ड संचालित थे। इनमें से विनोबा नगर का कचरा ट्रांसफर स्टेशन स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। अब विनोबा नगर के स्थान पर कचरा पोलोग्राउण्ड के कचरा ट्रांसफर स्टेशन पर ले जाया जाएगा। आयुक्त झारिया ने स्वास्थ्य अधिकारी, झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा, सफाई संरक्षक, कचरा संग्रह वाहन चालक व हेल्परों को निर्देशित किया है कि विनोबा नगर में अब किसी भी प्रकार का कचरा खाली नही किया जाएगा। अभी तक यहां आने वाला कचरा पोलोग्राउण्ड के कचरा ट्रांसफर स्टेशन पर ले जाया जायेगा जहां सूखा कचरा ग्रीन नेट के अन्दर खाली कर गीला कचरा काम्पेक्टर में लोड किया जाएगा और रोज जुलवानिया भेजा जाएगा। [illegible] 18-4-2021

5 के स्थान पर अब 4 कचरा ट्रांसफर स्टेशन होगें

रतलाम। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर के 5 कचरा ट्रांसफर स्टेशन अमृत सागर, विरियाखेड़ी, ईश्वर नगर, विनोबा नगर व पोलोग्राउण्ड में से विनोबा नगर के कचरा ट्रांसफर स्टेशन को स्थाई रूप से बंद किया गया है अब विनोबा नगर आने वाला कचरा पोलोग्राउण्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन पर ले जायेगा। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने स्वास्थ्य अधिकारी, झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा, सफाई संरक्षक, कचरा संग्रहण वाहन चालक व हैल्परों को निर्देशित किया कि विनोबा नगर में अब किसी भी प्रकार का कचरा खाली नहीं किया जायेगा यहां आने वाला कचरा पोलोग्राउण्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन पर ले जाया जायेगा जहां सूखा कचरा ग्रीन नेट के अन्दर खाली कर गीला कचरा काम्पेक्टर में लोड किया जाकर जुलवानिया प्रतिदिन भेजा जायेगा। [illegible] 18-4

इन्दौर समाचार

18-4-2021

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार–––––––––पृष्ठ ....दिनांक..........2021

अखिलेश निमावत सेवा से बर्खास्त

रतलाम। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने निगम के प्रकाश विभाग में कार्यरत स्थायीकर्मी अखिलेश निमावत द्वारा वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिये गये आदेशों की अवहेलना करने, कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने, अनुशासनहीनता करने पर सेवा से बर्खास्त किया।

अखिलेश निमावत सेवा से बर्खास्त

रतलाम। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम के प्रकाश विभाग में कार्यरत स्थायीकर्मी अखिलेश निमावत द्वारा वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिये गये आदेशों की अवहेलना करने, कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने, अनुशासनहीनता करने पर सेवा से बर्खास्त किया।

अखिलेश निमावत सेवा से बर्खास्त

रतलाम। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने निगम के प्रकाश विभाग में कार्यरत स्थायीकर्मी अखिलेश निमावत द्वारा वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों की अवहेलना करने, कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने, अनुशासनहीनता करने पर सेवा से बर्खास्त किया।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार [illegible] –पृष्ठ ....दिनांक...18...4.....2021

[illegible] 18-4-2021

मास्क लगाकर व सेनेटाईजर का उपयोग कर सुरक्षित रहें

निगम आयुक्त श्री झारिया ने कर्मचारियों को दिये निर्देश

रतलाम । शहर में बढ़ते लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के मद्देनजर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम सफाई कर्मचारियों में खासकर डोर टू डोर कलेक्शन करने वाले सफाई कर्मचारियों को मास्क लगाने व सैनिटाइजर का उपयोग करने की हिदायत दी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने प्रातः 8:00 बजे निगम के फायर स्टेशन भवन समस्त उपस्थित कर्मचारियों को मास्क लगाने सैनिटाइजर का उपयोग करने तथा वाहनों में चढ़ने व उतरने के बाद में गाड़ी को भी सेनीटाइज करके ही रखने के निर्देश दिए वहीं वार्ड दरोगा एवं वार्ड के जो नियमित सफाई कर्मचारी हैं उनको भी उक्त निर्देश निगम आयुक्त द्वारा दिए गए साथ ही उन्होंने सर्जिकल मास्क पहले और उसके ऊपर एम 9 एम 5 मास्क लगाने की हिदायत दी।

उन्होंने कहा कि है कर्मशाला विभाग के ड्रायवर, हैल्परों को सैनिटाइजर मास्क और ट्रिपल लेयर मास्क कर्मशाला विभाग दिये जायेंगे, आज जितनी संख्या में मास्क व सैनेटाईजर है वे प्राप्त कर लें शेष को कल उपलब्ध कराये जायेंगे। आपको नियमित गाड़ी में बैठने से पहले और गाड़ी से उतरने के बाद गाड़ी को भी सैनिटाइज करना है साथ ही अपने और अपने साथियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने कहा कि किसी भी आपदा की परिस्थिति में निगम के कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कर्मचारी इस महामारी में किसी भी प्रकार की कोताही ना बरतें व अपने साथ अपने परिवार और समाज के जीवन को बचायें।

इस अवसर पर उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्य, श्री एम.के. जैन, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, निगम सचिव श्री जसवंत जोशी, कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्मा, श्री बी.एल. चावरे, उपयंत्री सर्वश्री सुहास पंडित, सिद्धार्थ सोनी, ब्रजेश कुशवाह, श्रीमती अनिता ठाकुर, सुश्री दीक्षा निजामपुरकर, झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े, श्री किरण चौहान, सिटी मैनेजर श्री कपील मारोठिया, श्री नितिन तिवारी, उद्यान निरीक्षक श्री अनिल पारा, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक, दरोगा, सफाई संरक्षक, कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर आदि उपस्थित थे।

मास्क लगाकर व सेनेटाईजर का उपयोग कर सुरक्षित रहें

प्रसारण न्यूज़ • रतलाम

18-4-2021

शहर में बढ़ते लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के मद्देनजर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने निगम सफाई कर्मचारियों में खासकर डोर टू डोर कलेक्शन करने वाले सफाई कर्मचारियों को मास्क लगाने व सैनिटाइजर का उपयोग करने की हिदायत दी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने प्रातः 8 बजे निगम के फायर स्टेशन भवन समस्त उपस्थित कर्मचारियों को मास्क लगाने सैनिटाइजर का उपयोग करने तथा वाहनों में चढ़ने व उतरने के बाद में गाड़ी को भी सेनीटाइज करके ही रखने के निर्देश दिए, वहीं वार्ड दरोगा एवं वार्ड के जो नियमित सफाई कर्मचारी है, उनको भी उक्त निर्देश निगम आयुक्त द्वारा दिए गए। साथ ही उन्होंने सर्जिकल मास्क पहले और उसके ऊपर एम 9 एम 5 मास्क लगाने की हिदायत दी।

उन्होंने कहा कि है कर्मशाला विभाग के ड्राइवर, हैल्परों को सैनिटाइजर मास्क और ट्रिपल लेयर मास्क कर्मशाला विभाग दिए जाएंगे। आज जितनी संख्या में मास्क व सेनेटाईजर है, वे प्राप्त कर लें शेष को कल उपलब्ध कराए जाएंगे। आपको नियमित गाड़ी में बैठने से पहले और गाड़ी से उतरने के बाद गाड़ी को भी सैनिटाइज करना है, साथ ही अपने और अपने साथियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने कहा कि किसी भी आपदा की परिस्थिति में निगम के कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कर्मचारी इस महामारी में किसी भी प्रकार की कोताही ना बरतें व अपने साथ अपने परिवार और समाज के जीवन को बचाएं।

इस अवसर पर उपायुक्त विकास सोलंकी, जलप्रदाय विभाग प्रभारी सत्यप्रकाश आचार्य, एम.के. जैन, स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह, निगम सचिव जसवंत जोशी, कार्यालय अधीक्षक रामचन्द्र शर्मा, बी. एल. चावरे, उपयंत्री सुहास पंडित, सिद्धार्थ सोनी, ब्रजेश कुशवाह, श्रीमती अनिता ठाकुर, सुश्री दीक्षा निजामपुरकर, झोन प्रभारी पर्वत हाड़े, किरण चौहान, सिटी मैनेजर कपील मारोठिया, नितिन तिवारी, उद्यान निरीक्षक अनिल पारा, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक, दरोगा, सफाई संरक्षक, कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर आदि उपस्थित थे।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार–इन्दौर समाचार पृष्ठ ....दिनांक..18-4.....2021

निगम आयुक्त झारिया ने कर्मचारियों को दिये निर्देश

मास्क लगाकर व सेनेटाईजर का उपयोग कर सुरक्षित रहें

इन्दौर स. 18-4-2021

रतलाम। शहर में बढ़ते लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के मद्देनजर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम सफाई कर्मचारियों में खासकर डोर टू डोर कलेक्शन करने वाले सफाई कर्मचारियों को मास्क लगाने व सैनिटाइजर का उपयोग करने की हिदायत दी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने प्रातः 8 बजे निगम के फायर स्टेशन भवन समस्त उपस्थित कर्मचारियों को मास्क लगाने सैनिटाइजर का उपयोग करने तथा वाहनों में चढ़ने व उतरने के बाद में गाड़ी को भी सेनीटाइज करके ही रखने के निर्देश दिए वहीं वार्ड दरोगा एवं वार्ड के जो नियमित सफाई कर्मचारी हैं उनको भी उक्त निर्देश निगम आयुक्त द्वारा दिए गए साथ ही उन्होंने सर्जिकल मास्क पहले और उसके ऊपर एम 9 एम 5 मास्क लगाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि है कर्मशाला विभाग के ड्रायवर, हैल्परों को सैनिटाइजर मास्क और ट्रिपल लेयर मास्क कर्मशाला विभाग दिये जायेंगे, आज जितनी संख्या में मास्क व सेनेटाईजर है वे प्राप्त कर लें शेष को कल उपलब्ध कराये जायेंगे। आपको नियमित गाड़ी में बैठने से पहले और गाड़ी से उतरने के बाद गाड़ी को भी सैनिटाइज करना है साथ ही अपने और अपने साथियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। निगम आयुक्त श्री झारिया ने कहा कि किसी भी आपदा की परिस्थिति में निगम के कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कर्मचारी इस महामारी में किसी भी प्रकार की कोताही ना बरतें व अपने साथ अपने परिवार और समाज के जीवन को बचायें। इस अवसर पर उपायुक्त विकास सोलंकी, जलप्रदाय विभाग प्रभारी सत्यप्रकाश आचार्य, एम.के. जैन, स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह, निगम सचिव जसवंत जोशी, कार्यालय अधीक्षक रामचन्द्र शर्मा, बी.एल. चावरे, उपयंत्री सुहास पंडित, सिद्धार्थ सोनी, ब्रजेश कुशवाह, श्रीमती अनिता ठाकुर, सुश्री दीक्षा निजामपुरकर, झोन प्रभारी पर्वत हाड़े, किरण चौहान, सिटी मैनेजर कपील मारोठिया, नितिन तिवारी, उद्यान निरीक्षक अनिल पारा, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक, दरोगा, सफाई संरक्षक, कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर आदि उपस्थित थे।